भारत में बाल अधिकार संरक्षण:

प्रमोद कुमार
सहायक प्राध्यापक (विधि)
केरियर कालेज ऑफ लॉ
भोपाल (म0प्र0)

भारत में बालकों से जुड़ी अनेक समस्याएं हैं। खासतौर पर बाल श्रम बच्चों की तस्करी व उनका यौन शोषण जैसी बड़ी समस्याएं देश के माथे पर कलंक जैसी हैं। इनके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि धूमिल हुई है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बाल अधिकारों के संरक्षण की तरफ ध्यान न दिया गया हो। बालकों की स्थिति में सुधार के प्रयास जारी हैं, तथापि अभी स्थिति में संतोषजनक सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। बचपन जीवन का प्रारंभिक और स्वर्णिम काल होता है और बच्चों को ईश्वर की सुंदरतम कृति माना गया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में तो बाल रूप को ब्रह्म रूप के समान बताया गया है। यानी बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। शायद ऐसा इसलिए कहा गया है कि बच्चे प्रकृति की सबसे सुकोमल अभिव्यक्ति हैं। पाप–पुण्य से कोसों दूर, छल–प्रपंच, घृणा–बैर से परे बच्चे ''मनुष्य के पिता'' तथा 'भविष्य के नागरिक' हैं। सामान्यतौर पर 'बचपन' सुकुमार कोमल भावनाओं तथा मधुर स्मृतियों का संगम है जो हमारे चरित्र को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही कारण है कि बच्चों को राष्ट्र की अमूल्य धरोहर कहा जाता है। परमात्मा की सर्वोत्तम कृति यदि मनुष्य को माना जाता है तो यह मनुष्य पृथ्वी पर अपना प्रादुर्भाव एक बच्चे के रूप में ही करता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में बच्चों के प्रति अगाध संवेदना व चेतना का प्रस्फुटन हुआ हे, जिसके चलते बच्चों को जन्म के साथ ही कुछ विशिष्ट अधिकारों को प्रदत्त किए जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसे दुर्भाग्य और त्रासदी ही कहा जाएगा कि भारत जैसे देश में, जहां बालक को भगवान का प्रतिरूप माना गया है, बचपन समस्याओं से मुक्त नहीं हैं यह कहना असंगत न होगा कि भारत में बचपन अभिशप्त है और हमारे देश के असंख्य बालक उन स्थितियों में जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, जिन्हें मानवीय नहीं कहा जा सकता। बाल श्रम, बच्चों का यौन उत्पीड़न और उनकी तस्करी जैसी समस्याएं सुकोमल बचपन के लिए अभिशाप नहीं तो और क्या हैं। आए दिन देश में बच्चों के साथ होने वाले अघन्यतम कांड अखबारों की सुर्खियां बनते हैं।एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की स्थिति में सुधार के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत में बच्चों की स्थिति भयावह है और इनसे जुड़ी समस्याएं विकराल हैं। भारत में बच्चों की त्रासद स्थिति पर चर्चा करने से पूर्व यह जान लेना प्रासंगिक होगा कि अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की स्थिति में सुधार हेतु क्या–क्या प्रयास क्रमवार हुए।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम 1924 में जेनेवा घोषणा पत्र के अंतर्गत बच्चों के अधिकारों को मान्यता देते हुए पांच सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई। 1989 में बाल अधिकारिता अभिसमय पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। 20 नवंबर, 1989 को स्वीकृत इस अभिसमय में बाल अधिकारों के संरक्षण, बच्चों के शोषण, श्रम आधारित कार्यों में नियोजन इत्यादि विषयों पर विस्तार से न केवल चर्चा की गयी बल्कि हस्ताक्षरकर्ता सभी देशों से इस दिशा में कानून बनाने और उस पर कड़ाई से अमल करने की अपेक्षा की गयी। इस अभिसमय में कुल 54 अनुच्छेद हैं जो विश्व के सभी बच्चों को कतिपय मूलभूत अधिकार प्रदान करते हैं। अभिसमय के अनुच्छेद 1 में दी गयी परिभाषा के अनुसार विश्व के सभी 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ बचचे हैं बशर्ते उन्हें उनके देश के निजी कानून द्वारा बालिग न घोषित किया गया हो। उल्लेखनीय है कि भारत में भी 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा ही माना जाता है। किन्तु जहाँ तक नियोजन का संदर्भ है संविधान 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है जबकि खान अधिनियम में यह आयु 18 वर्ष है।

1990 में आयोजित विश्व बाल सम्मेलन में विश्व

के बच्चों की सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक स्थिति पर चर्चा की गयी। बाल अधिकारिता के सरंक्षण पर किए गए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के क्रम में अक्टूबर 1997 में ओस्लो (नार्वे) में बालरम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन में बच्चों को नियोजित करने की परम्परा को रोकने, आर्थिक कारणों से रोजगार में लगे बच्चों के पुनर्वास, बाल पोषण, उनके स्वास्थ्य संबंधी दशाओं इत्यादि पर चर्चा हुई।

वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण से यह उत्साहजनक तथ्य सामने आया कि विश्व में बाल श्रमिकों की संख्या जो पिछले सर्वेक्षण के समय 24.6 करोड़ थी में 11.38 प्रतिशत की कमी आयी है और अब यह 21.8 करोड़ रह गयी है। जैम म्दक वि बिपसक स्ंइवनत पजीपद त्मंबी नामक इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अगले 10 वर्षों (2016 तक) में विश्व भर में खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे बाल श्रमिकों की संख्या जो 12.6 करोड़ है को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रम संगठन ने सभी देशों को वर्ष 2008 तक आवश्यक नीतियों के निर्माण का निर्देश भी दिया है।

उक्त अनेक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद भारत में बच्चों की स्थिति में अपेक्षित सुधार न पाना यकीनन दुाद और चिंतनीय है। जाहिर है कि न सिर्फ प्रयासों में कोताही बरती गई है, बल्कि दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का भी अभाव है। यह अभाव और उपेक्षा इसलिए है कि बच्चों की समस्याएं इस देश में चुनाव और वोटों से नही जुड़ी हैं। यही कारण है कि देश के राजनीतिज्ञों और नीति नियंताओं ने हमेशा बच्चों की समस्याओं को हाशिए पर रखा और उनकी स्थिति में सुधार के दिली प्रयास नहीं राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के अलावा शायद ही किसी शीर्ष स्तर के नेता ने देश में बच्चों के हितों की पैरोकारी की हो।

भारत में बच्चों से जुड़ी सबसे भयावह व विकराल समस्या बाल श्रम की है। यह बच्चों के शोषण की एक स्याह हकीकत है। बाल श्रमिकों से अमानवीय तरीकों से काम लिया जाता है। न तो उनके साथ उचित बर्ताव ही किया जाता है और न ही उन्हें समुचित पारिश्रिमिक ही दिया जाता है। झिड़कियां और दुत्कार अलग से सुननी पड़ती हैं। बाल श्रमिकों को खतरनाक उद्योगों में झोंक दिया जाता है। पटाखा उद्योग, आदि माचिस उद्योग, कांच उद्योग, और कालीन उद्योग आदि में जहां बच्चों की खपत ज्यादा होती है, वहीं उन्हें हानिप्रद स्थितियों में काम करना पड़ता है। वे तमाम तरह की बीमारियों मसलन चर्म रोग, श्वास रोग व कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। बीमारियों की वजह से अनेक बाल श्रमिक मर भी जाते हैं। हमारे देश में खतरनाक उद्योगों के लिए बाल श्रमिकों को उपलब्ध कराने का एक मजबूत जाल है, जिससे जुड़े लोग जरूरतमंद अभिभावकों को बरगला कर उनके बच्चों को इन उद्योगों में झोंक देते हैं, जहां उनसे बंधक और बंधुआ मजदूरों की तरह से काम लिया जाता है। यदि इनमें से कोई बाल श्रमिक भागने का प्रयत्न करता है, तो उसकी बर्बर पिटाई की जाती है, वह भी दूसरे बाल श्रमिकों के सामने ही, ताकि कोई दूसरा बाल श्रमिक भागने का साहस न जुटा पाए। ऐसा करने वाले बच्चों को कई–कई दिन भूखा रखकर भी सजा दी जाती है।

आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में बाल श्रमिकों की संख्या 11.45 करोड़ है। भारत में स्थित कुल श्रम शक्ति में बाल श्रम का अंश 5.28 प्रतिशत है। आज भारतीय संविधान को लागू हुए 60 वर्ष से भी अधिक व्यतीत हो चुके हैं, फिर भी तब जबकि हमारे संविधान में बाल श्रम को पूरी तरह से असंवैधानिक माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी फैक्ट्र अथवा कारखाने में नियोजित करना असंवैधानिक है। अनुच्छेद 23 में बालकों का क्रय विक्रय, उनसे गैर कानूनी तथा अनैतिक कार्य करवाने, पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 39 (च) में बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराने, स्वस्थ विकास का अवसर देने तथा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा करने का निर्देश कम उम्र के बालकों को अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश राज्यों को दिया गया है।

ऐसा नहीं है कि सरकारें बच्चों की समस्याओं के प्रति हाथ पर हाथ धरे बैठी रही हों। बालकों, को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त कराने तथा उन्हें एक स्वस्थ एवं शोषण मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर प्रयास किए गए हैं। स्वतंत्रता के बाद 1949 में एक राजकीय आदेश द्वारा सरकारी कार्यालयों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अतिरिक्त

केन्द्र सरकार द्वारा बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिए समय–समय पर विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कानून पारित करवाए गए हैं। इनमें कुछ प्रमुख कानून इस प्रकार हैं– बागान रमिक अधिनियम 1951, मोटर वाहन अधिनियम 1961, बीड़ी सिगरेट सेवा शर्ता एवं नियोजन अधिनियम, खान अधिनियम, 1952, कारखाना अधिनियम 1948, बाल श्रम (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986।

1979 में बाल श्रम की समस्या पर गुरूपदा स्वामी समिति का गठन किया गया। बाद के वर्षों में हरबंस समिति, सनत मेहता समिति तथा सिंघवी समिति का गठन किया गया। इन समितियों की संस्तुतियों को लागू करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा बालश्रम (नियंत्रण एवं प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 पारित कर बालश्रम पर प्रभावी नियंत्रण पाने का प्रयास किया गया।

जोखिम वाले कार्यस्थलों पर बालकों के नियोजन को प्रतिबंधित करने तथा ऐसे बालकों को उचित वातावरण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की घोषणा की गयी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य बालश्रम (नियंत्रण एवं प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 को प्रभावी ढंग से लागू करना तथा बाल श्रमिकों हेतु कल्याणकारी परियोजनाएं चलाना है।

राष्ट्रीय बाल रम नीति के अंतर्गत बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा 1988 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की शुरूआत की गयी। इसके अंतर्गत 1988 में सात बाल श्रम परियोजनाएं शुरू की गयीं। 1994 तक 5 और परियोजनाएं शुरू की गयीं। 15 अगस्त, 1994 को बाल श्रमिकों से संबंधित एक व्यापक योजना की घोषणा की गयी। इस घोषणा के बाद 64 और परियोजनाओं की शुरूआत की गयी। वर्तमान में इसके अंतर्गत देश भर में 125 से अधिक परियोजनाएं चल रही हैं।

सितम्बर, 1994 को श्रम मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाल रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गयी। प्राधिकरण का मुख्य कार्य बाल रम से संबंधित नीतियाँ बनाना, योजनाओं तथा परियोजनाओं को लागू कराना एवं विभिन्न कार्यक्रमों का समन्वयन करना है। सितंबर 2006 में बाल अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार द्वारा जहां राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया, वहीं राज्य स्तरपर भी इस तरह के आयोगों के गठन के निर्देश जारी किये गये। 10 अक्टूबर, 2006 से भारत सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (13 व्यवसायों की 57 उत्पादन प्रक्रियाओं में 5 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के श्रम पर प्रतिबंध) के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी कर घरों व होटलों में बाल श्रम पर निषेध लगा दिया। अब उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत खतरनाक सूची में शामिल 15 व्यवसायों में से किसी एक में किसी बच्चे को कोई नियोजित करता है तो उसे कम से कम 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक का कारावास या कम से कम 10 हजार से लेकर 20 हजार रूपए तक का अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। इन सारी कवायदों के बावजूद भारत में बाल श्रम का उनमूलन नहीं हो पाया है और देश में बाल श्रम के आरोप में दंडितों की संख्या नगण्य है।

बाल श्रम के बाद बच्चों का यौन शोषण भारत की एक भयावह समस्या है। बाल श्रमिकों का यौन शोषण तो मालिकों या कार्यस्थल के करिन्दों द्वारा किया ही जाता है, कुछ विकृत मानसिकता के लोगों को भी यौन तृप्ति हेतु बच्चे उपलब्ध करवाए जाते हैं। भारत में 'सेक्स टूरिज्म' का चलन बढ़ा है और बच्चे महंगे दामों में सेक्स टूरिस्टों को उपलब्ध कराये जाते हैं। अरब देशों में ऊंट दोड़ आदि के लिए भी बच्चे उपलब्ध करावाए जाते हैं। इन सभी कारणों से बच्चों की तस्करी भी बढ़ी है। इसी के साथ सशस्त्र संघर्षों में भी बच्चों को संलिप्त करने की घटनाएं बढ़ी हैं। उनके बेजा इस्तेमाल के लिए क्रय–विक्रय की घटनाओं में इजाफा हुआ है। बच्चों से जुड़ी इन समस्याओं के निवारण की दिशा में भी सरकार द्वारा कुछ अच्छी पहलें की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 9 फरवरी, 2004 को अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार घोषणा को केन्द्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया। इस घोषणा पत्र को उद्देश्य बच्चों को जीने, रहने पढ़ने खाने का तथा शोषण से मुक्ति का अधिकार देना है। बाल अधिकार से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संधि का 1992 में अनुमोदन के बाद भारत ने सितम्बर, 2004 में बाल अधिकार से संबंधित दो वैकल्पिक विज्ञप्तियों– सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की संलिप्तता पर रोक तथा बच्चों का क्रय–विक्रय तथा यौन उपयोग पर रोक, पर हस्ताक्षर किया।

यौन अपरोधों से बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम को सरकार की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है। बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करने के

उद्देश्य से बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 नामक एक विशेष कानून मई 2012 में पारित किया गया, जो 14 नवंबर (बाल दिवस) 2012 से प्रभावी हुआ। बाल अधिकारों के संरक्षण की दृष्टि से इस सबसे नवीनतम कानून को महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। यह अधिनियम बच्चों को यौन उत्पीड़न और शोषण से बचाने तथा कानूनी प्रावधानों को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। वर्तमान समय में यौन अपराधों से निपटने का प्रावधान नहीं है तथा वयस्क तथा पीड़ित बालक में भेद नहीं किया गया है। यौन अपराध अधिनियम 2012 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र का हो, बच्चे के रूप में पारिभाषित किया गया है यह अधिनियम प्रत्येक बच्चे को जो 18 वर्ष से कम उम्र का हो उसे यौन उत्पीड़न, यौनाचार और अश्लीलता से सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत सख्त दंड का प्रावधान है जो कि अपराध की गंभीरता के अनुरूप वर्गीकृत है।

उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपराधी की सुनवाई के लिए विशेष अदालत की स्थापना का प्रावधान है जिसमें कि न्यायिक प्रक्रिया के हर चरण में बच्चे के हित को सर्वोपरि महत्त्व दिया जायेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधानित किया गया है कि पीड़ित बच्चे के बयान की रिकार्डिंग, विशेष कर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा जो कि उपनिरीक्षक के पद से नीचे न हो, बच्चे के निवास पर बच्चे की पसंद की जगह पर की जायेगी तथा बच्चे को किसी कारणवश रात में पुलिस स्टेशन में न रखा जाएगा। इतना ही नहीं, बच्चे का बयान अंकित करते समय पुलिस अधिकारी सादे कपड़े में रहेगा। एक दुभाषिया या अनुवादक की सहायता तथा बच्चे की जरूरत के अनुसार एक विशेषज्ञ की मदद ली जा सकेगी। यह भी प्रावधान है कि अक्षम बच्चे के संबंध में विशेष शिक्षक या परिचित व्यक्ति की सहायता ली जा सकेगी। बच्चे की चिकित्सा परीक्षा उसके माता–पिता या किसी अन्य व्यक्ति, जिस पर बच्चा विश्वास करता हो, उसकी उपस्थिति में ही की जाएगी। यदि पीड़ित बालिका हो तब चिकित्सकीय परीक्षा महिला डॉक्टर द्वारा की जायेगी। सुनवाई के दौरान बच्चे को नियकित अंतराल–विश्राम दिया जाएगा। बालक को बार–बार गवाही देने के लिए नहीं कहा जाएगा। कोई आक्रामक पूछताछ या बचचे के चरित्र का हनन नहीं होगा। मामलों की सुनवाई कैमरों की निगरानी में होगी।

बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपराध करने का इरादा चाहे वह किसी भी कारण का प्रयत्न भी दण्डनीय है। अधिनियम बनाया गया है। अपराध करने का प्रयत्न भी दण्डनीय है। अधिनियम के अंतर्गत अपराध के लिए उकसाने पर भी दण्ड का प्रावधान है जो कि अपराध करने पर मिलता है। भेदनीय यौन उत्पीड़न और संगीन भेदनीय उत्पीड़न, अक्रामक भेदनीय यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और आक्रामक यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों के लिए सबूत का भार अभियुक्त पर स्थानांतरित किया गया है। यह प्रावधान बच्चे की नाजुकता को ध्यान में रख कर किया गया है तथा कानून के दुरूपयोग को रोकने के लिए मिथ्या शिकायत करने या गलत इरादे से दी गई झूठी जानकारी के लिए भी सजा का प्रावधान है। मीडिया को विशेष न्यायालय की अनुमति के बिना बच्चे की पहचान का खुलासा करने से वर्जित किया गया है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर एक वर्ष तक दण्ड का प्रावधान किया गया है। मुकदमे की कार्यवाही त्वरित करने के लिए बच्चे का साक्ष्य 60 दिनों की अवधि के भीतर दर्ज करने का प्रावधान है तथा विशेष न्यायालय जहां तक संभव हो मामले की सुनवाई एक वर्ष में पूरी करेगा। बच्चे के राहत एवं पुनर्वास हेतु जैसे ही विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज की जाएगी तब बच्चे का सुरखा और देखभाल जैसे कि उन्हें आश्रय गृह या नजदीकी अस्पताल में 24 घंटे के अंदर दाखिल कराने के लिए व्यवस्था करनी होगी। बच्चे के पुनर्वास हेतु विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी बाल कल्याण समिति को शिकायत दजै कराने के 24 घंटे के भीतर देनी होगी। केंद्र और राज्य सरकारों को संचार माध्यम जैसे टेलीविजन, रेडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा नियकित अंतराल पर आम जनता, बच्चों तथा उनके माता–पिता व संरक्षकों में जागरूकता उत्पन्न करने की जिम्मेदारी तय की गयी है।

समस्या चाहे बाल श्रम की हो, बाल यौन उत्पीड़न की हो, बच्चों की तस्करी की हो अथवा बाल अपराधों की, इन सभी के मूल में गरीबी, लाचारी, अशिक्षा व संस्कारों की कमी जैसे कारण है। सबसे पहले इस दिशा में ध्यान देना होगा। गरीबी का उन्मूलन करना होगा और शिक्षा के दायरे को बढ़ाना होगा। हालांकि भारत सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देकर इस दिशा में एक नेक पहल की है, किंतु गरीबी की समस्या अभी भी भयावह है, जो कि बाल श्रम आदि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा भी हम

कुछ और प्रयास कर बाल अधिकार संरक्षण की दिशा में महत्त्वपूर्ण पहल कर सकते हैं मसलन, प्रत्येक जिले, कस्बे व पंचायत स्तर पर एक विशेष "चाइल्ड सेल" की स्थापना होनी चाहिए, जहां 24 घंटे बच्चों संबंधी शिकायतों को सुनने वाले सक्षम लोगों की नियुक्ति हो। नार्वे की तर्ज पर बच्चों के लिए "ओम्बुड्समैन" ऑफिस की व्यवस्था भी की जा सकती है। बच्चों को जागरूक बनाने के लिए सामाजिक व शैक्षणिक स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। बच्चों को यौन दुर्व्यवहारों के प्रति सचेत करने के लिए माता–पिता के स्तर से शुरू होकर स्कूली शिक्षा के स्तर पर यौन–शिक्षा देने की पहल की जानी चाहिए। अपराधों की रोकथाम व जाँच हेतु पृथक थानों की स्थापना होनी चाहिए, जहां संवेदनशील महिला अधिकारियों की नियुक्ति अनिवार्य हो।

संदर्भः–

- मानवाधिकार S K kapoor
- दैनिक जागरण 12:05:2015
- भरतीय संविधान J N Pandey
- श्रम विधि S N mishra
- धारा 160 भारतीय दंड संहिता

★★★★★